प्ररूप संख्या 140

[नियम 219(1)[सारणी: क्रमांक 3] का संदर्भ लें]

जून/ सितंबर/ दिसंबर/ मार्च/ कर वर्ष को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए वेतन से भिन्न किए गए भुगतानों के संबंध में अधिनियम की धारा 397(3)(ख) के अधीन कर कटौती का त्रैमासिक ब्यौरे……………….]

	भाग क		
पंक्ति संख्या..	**कटौतीकर्ता का ब्यौरे**		
1.	कटौतीकर्ता का प्रकार	• सरकार • गैर सरकार	
2.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
3.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
4.	स्थायी खाता संख्या	*(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)*	
5.	कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या		
6.	ईमेल आईडी		
7.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*
8.	कर वर्ष		
9.	क्या इस तिमाही के लिए बयान पहले ही दाखिल किया गया है?	*(हां नहीं)*	
10.	यदि पंक्ति संख्या (9) का उत्तर “हाँ” है, तो मूल ब्यौरे की वापसी प्राप्ति संख्या		
11.	यदि सरकारी कटौतीकर्ता हैं, तो कृपया पीएओ/डीटीओ/सीडीडीओ का एआईएन उल्लेख करें।		
कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की विशिष्टयां (गैर-व्यक्तिगत कर कटौतीकर्ता के मामले में लागू)			
12.	नाम	*(टिप्पण 1 का संदर्भ लें)*	
13.	पता	*(टिप्पण 2 का संदर्भ लें)*	
14.	स्थायी खाता संख्या		
15.	ईमेल आईडी		
16.	संपर्क संख्या	*देश कोड*	*संख्या*

<table>
<tr><th colspan="12">भाग ख</th></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="11">केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए और कटौती किए गए कर के ब्यौरे:</td></tr>
<tr><td></td><td>क्रम संख्या</td><td>कुल कर कटौती (टिप्पण 4 का संदर्भ लें)</td><td>कुल ब्याज</td><td>कुल शुल्क (टिप्पण 5 का संदर्भ लें)</td><td>कुल जुर्माना/अन्य</td><td>चालान के अनुसार जमा की गई कुल राशि / बही समायोजन (ख+ग+घ+ङ) के माध्यम से समायोजित की गई कुल राशि (टिप्पण 6 का संदर्भ लें)</td><td>कर भुगतान का तरीका (चालान के माध्यम से/बहीखाते के समायोजन के माध्यम से) (टिप्पण 7 का संदर्भ लें)</td><td>बीएसआर कोड/रसीदसंख्याप्ररूप संख्या 137 (टिप्पण 8 का संदर्भ लें)</td><td>चालान के माध्यम से राशि जमा करने की तारीख / हस्तांतरण वाउचर की तारीख (दिन/माह/वर्ष) (टिप्पण 8 का संदर्भ लें)</td><td>चालान क्रमांक / डीडीओ क्रम संख्या प्ररूप संख्या 137 (टिप्पण 8 का संदर्भ लें)</td><td>चालान का लघु मद (टिप्पण 9 का संदर्भ लें)</td></tr>
<tr><td></td><td>(क)</td><td>(ख)</td><td>(ग)</td><td>(घ)</td><td>(ङ)</td><td>(च)</td><td>(छ)</td><td>(ज)</td><td>(झ)</td><td>(ञ)</td><td>(ट)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="11">कर कटौती प्राप्तकर्ताओं से भुगतान की गई राशि और उस पर कटौती किए गए कर का ब्यौरे तथा बिना कटौती के भुगतान की गई राशि के ब्यौरे (उपाबंध का संदर्भ लें)</td></tr>
</table>

घोषणा

मैं, ………….. (स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम), जिसका स्थायी खाता संख्या ……. है, ………….. (कटौतीकर्ता का नाम) के मामले में स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान: स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर:

तारीख:

नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. (क) व्यक्ति विशेष के मामले में, पहला, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के पूर्ण रूप से दिया जाएगा। अन्य किसी भी मामले में भी, नाम पूर्ण रूप से दिया जाएगा।

   (ख) कैंद्रीय सरकार के मामले में, कृपया मंत्रालय/विभाग का नाम बताएं। राज्य सरकार के मामले में, कृपया राज्य का नाम बताएं।

2. पते में सम्मिलित किए जाएंगे: i. देश/क्षेत्र, ii. फ्लैट/मकान/ब्लॉक संख्या, iii. सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, iv. पिन/ज़िप कोड, v. डाकघर, vi. क्षेत्र/इलाका, vii. जिला, viii. राज्य।

3. गैर-सरकारी कटौतीकर्ताओं/भुगतानकर्ताओं के लिए स्थायी खाता संख्या (PANNOTREQD) बताना अनिवार्य है। सरकारी कटौतीकर्ताओं/भुगतानकर्ताओं के मामले में, स्थायी खाता संख्या को "PANNOTREQD" के रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए।

4. स्तंभ (ख) में, कुल कर कटौती कर, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की राशि का योग होगी।

5. टीडीएस ब्यौरे देर से दाखिल करने के लिए धारा 427 के अधीन भुगतान की गई फीस को 'कुल फीस' [स्तंभ (घ)] के अलग स्तंभ में उल्लेख किया जाना है।

6. स्तंभ (च) में, सरकारी डीडीओ को पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ द्वारा जमा की गई राशि का उल्लेख करना होगा। अन्य कटौतीकर्ताओं/भुगतानकर्ताओं को चालान के माध्यम से जमा की गई सटीक राशि लिखी जाएगी ।

7. स्तंभ (छ) में, सरकारी कटौतीकर्ता/भुगतानकर्ता "B" लिखें जहां टीडीएस का भुगतान बहीखाते में समायोजन के माध्यम से केंद्र सरकार के खाते में किया जाता है। अन्य कटौतीकर्ता/भुगतानकर्ता "C" लिखें।

8. चालान/अंतरण वाउचर (CIN/BIN) ब्यौरे, अर्थात्(H), (I), (J) यह TIN/ TRACES *पोर्टल* 2.0 पर उपलब्ध के बिल्कुल समान होंगे ।

9. स्तंभ (ट) में, चालान पर अंकित लघु मद का उल्लेख करें।.

10. *जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, राशि ₹ में भरी जाएगी ।*

उपाबंध: टीडीएस का कटौतीकर्तावार विवरण

... (दिन/माह/वर्ष) को समाप्त तिमाही के दौरान भुगतान/क्रेडिट की गई राशि और स्रोत पर काटे गए कर के ब्यौरे

क्रम संख्या	चालान संदर्भ संख्या [भाग ख में सारणी (क्रम संख्या 1) का स्तंभ ए]	कटौती प्राप्तकर्ता का स्थायी खाता संख्या	कटौती प्राप्तकर्ता का नाम	धारा कोड (*टिप्पण 15 का संदर्भ लें*)	भुगतान या क्रेडिट की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	राशि का भुगतान या क्रेडिट दिया गया	धारा 393(3) [सारणी: क्रमांक 5] में निर्दिष्ट अनुसार 1 करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी की राशि (सहकारी समिति के अलावा अन्य व्यक्ति के मामले में)	धारा 393(3) के अधीन आने वाले मामलों के लिए 3 करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी की राशि [सारणी: क्रमांक 5] (सहकारी समितियों के मामले में)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)

कुल कर कटौती (*टिप्पण 14 का संदर्भ लें*)	कुल कर जमा	दर पर जिस पर कर काटा गया	कटौती की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	कटौती न करने का कारण / न्यूनतम कटौती / अधिकतम कटौती / सीमा / ट्रांसपोर्टर आदि (टिप्पण 1 से 13 का संदर्भ लें)	धारा 395 के अधीन गैर-कटौती/कम कटौती के लिए जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या	कटौती प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्ररूप संख्या 121 की विशिष्ट पहचान संख्या
(ञ)	(ट)	(ठ)	(ड)	(ढ)	(ण)	(त)

धारा 393(1) **के अधीन आने वाले भुगतानों के लिए** [**सारणी क्रमांक** 8 (iv), **टिप्पण** 6]				**धारा** 393(1) **के अधीन आने वाले भुगतानों के लिए** [**सारणी क्रमांक** 8 (vi), **टिप्पण** 6]			
जमा किए गए कर की राशि	**बैंक का बीएसआर कोड**	**भुगतान की तारीख**	**चालान क्रमांक**	**जमा किए गए कर की राशि**	**बैंक का खएसआर कोड**	**भुगतान की तारीख**	**चालान क्रमांक**
(थ)	**(द)**	**(ध)**	**(न)**	**(प)**	**(फ)**	**(ब)**	**(भ)**

धारा 393(3) **के अधीन आने वाले भुगतानों के लिए** [**सारणी क्रमांक** 1, **टिप्पण** 2]				**धारा** 393(3) **के अधीन आने वाले भुगतानों के लिए** [**सारणी क्रमांक** 2, **टिप्पण** 2]			
जमा किए गए कर की राशि	**बैंक का बीएसआर कोड**	**भुगतान की तारीख**	**चालान क्रमांक**	**जमा किए गए कर की राशि**	**बैंक का बीएसआर कोड**	**भुगतान की तारीख**	**चालान क्रमांक**
(म)	**(य)**	**(कक)**	**(कख)**	**(कग)**	**(कघ)**	**(कङ)**	**(कच)**

घोषणा

मैं, ….. (स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम), जिसका स्थायी खाता संख्या ……. है, …….. (कटौतीकर्ता का नाम) के मामले में स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है।

स्थान: स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख: नाम:

पद का नाम:

टिप्पण:

1. *यदि धारा* 395(1) *के अधीन प्रमाण पत्र के कारण "कम कटौती" या "कोई कटौती नहीं" है तो "ए" लिखें।*
2. *यदि धारा* 393(6) *के अधीन घोषणा के कारण कोई कटौती नहीं है तो "ख" लिखें।*
3. *यदि पैन प्रस्तुत न करने के कारण धारा* 397(2) *के अधीन उच्च दर पर कटौती की जाती है तो "ग" लिखें।*
4. *यदि आयकर अधिनियम,* 1961 *(1961 का 43) उसके निरसन से पूर्व यथाविद्यमान की धारा* 194*क*(5) *के अधीन जारी अधिसूचना या अधिनियम की धारा* 400(1) *के अधीन जारी अधिसूचना के कारण किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को किए गए भुगतान के कारण कोई कटौती या कम कटौती नहीं है, तो "घ" लिखें।*
5. *यदि बोर्ड परिपत्र संख्या* 3 *तारीख* 28 *जून,* 2002 *या बोर्ड परिपत्र संख्या* 11 *तारीख* 22 *नवंबर,* 2002 *या बोर्ड परिपत्र संख्या* 18/2017 *तारीख* 29 *मई,* 2017 *में उल्लिखित व्यक्ति को किए गए भुगतान के कारण कोई कटौती नहीं की जाती है, तो "ङ" लिखें।*
6. *यदि अधिनियम की धारा* 393(4) [*सारणी: क्रमांक* 18] *में निर्दिष्ट व्यक्ति को किए गए भुगतान के कारण या आयकर अधिनियम,* 1961 *(1961 का 43) उसके निरसन से पूर्व यथाविद्यमान की धारा* 194 *के पाँचवें परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के कारण कोई कटौती नहीं है, तो "ढ़" लिखें।*
7. *यदि धारा* 393(4) *के प्रावधानों के अनुसार कोई कटौती नहीं है तो "ण" लिखें* [*सारणी: क्रमांक* 5]।
8. *यदि धारा* 393(4) [*सारणी: क्रमांक* 10(*घ*)] *में निर्दिष्ट व्यावसायिक न्यास को किए गए लाभांश के भुगतान के कारण या धारा* 393(4) [*सारणी: क्रमांक* 10(*ङ*)] *के अधीन जारी किसी अधिसूचना के मद्देनजर कोई कटौती नहीं की जाती है, तो "त" लिखें।*
9. *यदि धारा* 393(4) *सारणी:* [*क्रम संख्या* 7(*ग*)(*फ*)] *में निर्दिष्ट इकाई को किए गए भुगतान के कारण कोई कटौती नहीं है तो "थ" लिखें।*
10. *यदि धारा* 393(1) [*सारणी क्रमांक* 8(ii)] *टिप्पण* 1(*क*) *में संदर्भित लेनदेन के संबंध में अधिनियम के किसी प्रावधान के अधीन कटौती योग्य या संग्रहणीय कर के मद्देनजर कोई कटौती नहीं है, तो "ध" लिखें।*
11. *यदि कटौती प्राप्तकर्ता/भुगतानकर्ता के परिवहनकर्ता होने के कारण कोई कटौती नहीं है, तो "न" लिखें। कटौती प्राप्तकर्ता/भुगतानकर्ता का पैन अनिवार्य है* {*धारा* 393(4) [*सारणी: क्रमांक* 8]}।

12. *यदि अधिनियम में निर्दिष्ट सीमा से कम भुगतान के कारण कोई कटौती नहीं की जाती है, तो "म" लिखें।*

13. *यदि अधिनियम की धारा* 400(1) *के अधीन जारी अधिसूचना के मद्देनजर भुगतान के कारण कोई कटौती या कम कटौती नहीं है, तो "य" लिखें।*

14. स्तंभ (ञ) में, कुल कर कटौती, कर कटौती की राशि, अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का योग होगा।

15. *धारा कोड की सूची इस प्रकार है:*

धारा	***भुगतान का प्रकार***	***भुगतानकर्ता***	***धारा कोड***
392(7)	*किसी कर्मचारी को देय संचित राशि का कोई भी भुगतान*	*कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम,* 1952 *के न्यासी या स्कीम के अधीन कर्मचारियों को देय संचित राशि का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति*	1004
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 1 (i)]	*कमीशन या दलाली - बीमा*	*किसी भी व्यक्ति*	1005
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 1 (ii)]	*कमीशन या दलाली - अन्य*	*निर्दिष्ट व्यक्ति*	1006
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 2 (ii).*डी(क)*]	*मशीनरी आदि का किराया - निर्दिष्ट व्यक्ति*	*निर्दिष्ट व्यक्ति*	1008
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 2 (ii).*घ(ख)*]	*मशीनरी आदि के अलावा अन्य किराया - निर्दिष्ट व्यक्ति*	*निर्दिष्ट व्यक्ति*	1009
393(1) [*सारणी: क्रमांक* 3(ii)]	*धारा* 67(14) *में निर्दिष्ट समझौते के अधीन किसी भी प्रतिफल पर भुगतान, जो वस्तु के रूप में प्रतिफल न हो।*	*कोई भी व्यक्ति*	1011

धारा	भुगतान का प्रकार	भुगतानकर्ता	धारा कोड
393(1) [सारणी: क्रमांक 3 (iii)]	कुछ अचल संपत्तियों के अधिग्रहण पर मुआवजे का भुगतान	कोई भी व्यक्ति	1012
393(1) [सारणी: क्रमांक 4 (i)]	अनुसूची VII [सारणी: क्रमांक 20 या 21] के अधीन निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड की इकाइयों या निर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक से प्राप्त इकाइयों या निर्दिष्ट कंपनी से प्राप्त इकाइयों के संबंध में निवासी करदाता को देय आय	कोई भी व्यक्ति	1013
393(1) [सारणी: क्रमांक 4 (ii)]	किसी व्यावसायिक न्यास की इकाइयों से निवासी इकाई धारक को प्राप्त होने वाली ब्याज के रूप में निश्चित आय।	कोई भी व्यावसायिक न्यास	1014
393(1) [सारणी: क्रमांक 4 (ii)]	किसी व्यावसायिक न्यास की इकाइयों से निवासी इकाई धारक को लाभांश के रूप में प्राप्त होने वाली निश्चित आय।	कोई भी व्यावसायिक न्यास	1015
393(1) [सारणी: क्रमांक 4 (ii)]	किसी रियल एस्टेट विनिधान न्यास के स्वामित्व वाले बिजनेस न्यास की इकाइयों से किराए के रूप में प्राप्त होने वाली निश्चित आय, निवासी इकाई धारक को दी जाती है।	कोई भी व्यावसायिक न्यास	1016
393(1) [सारणी: क्रमांक 4 (iii)]	धारा 224 में निर्दिष्ट निवेश निधि की इकाइयों के संबंध में, अनुसूची V [सारणी: क्रमांक 2] के अधीन छूट प्राप्त आय के उस अनुपात के अतिरिक्त कोई भी आय, जो उसके इकाईधारक को देय हो।	धारा224 में निर्दिष्ट कोई भी निवेश कोष	1017
393(1) [सारणी: क्रमांक 4 (iv)]	धारा 221 में निर्दिष्ट प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश के संबंध में किसी निवेशक को प्राप्त कोई भी आय।	धारा 221 में निर्दिष्ट कोई भी प्रतिभूतिकरण न्यास	1018
393(1) [सारणी:	प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में प्राप्त कोई भी आय	कोई भी व्यक्ति	1019

धारा	भुगतान का प्रकार	भुगतानकर्ता	धारा कोड
क्रमांक 5 (i)]			
393(1) [सारणी: क्रमांक 5 (ii). घ(क)]	प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा ब्याज के रूप में प्राप्त कोई भी आय, यदि कटौती प्राप्तकर्ता/भुगतानकर्ता वरिष्ठ नागरिक है।	(क) एक बैंकिंग कंपनी; या (ख) बैंकिंग व्यवसाय करने वाली एक सहकारी समिति; या (ग) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अधीन जमा के लिए डाकघर	1020
393(1) [सारणी: क्रमांक 5 (ii).डी(ख)]	प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा ब्याज के रूप में प्राप्त कोई भी आय, यदि कटौती प्राप्तकर्ता/भुगतानकर्ता वरिष्ठ नागरिक नहीं है, तो	(क) एक बैंकिंग कंपनी; या (ख) बैंकिंग व्यवसाय करने वाली एक सहकारी समिति; या (ग) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अधीन जमा के लिए डाकघर	1021
393(1) [सारणी: क्रमांक 5 (iii)]	प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा किसी अन्य प्रकार का ब्याज से प्राप्त होने वाली कोई भी आय	निर्दिष्ट व्यक्ति [क्रम संख्या 5(ii).ग में उल्लिखित व्यक्ति के अतिरिक्त]	1022
393(1) [सारणी: क्रमांक 6 (i). घ(क)]	ठेकेदार और किसी अभिहित व्यक्ति व्यक्ति के बीच अनुबंध के अधीन किसी भी कार्य (कार्य करने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित) को पूरा करने के लिए दी गई कोई भी राशि – यदि ठेकेदार व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार है	कोई भी अभिहित व्यक्ति	1023
393(1) [सारणी: क्रमांक 6 (i). घ(ख)]	ठेकेदार और किसी अभिहित व्यक्ति व्यक्ति के खच हुए अनुबंध के अधीन किसी भी कार्य (कार्य करने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित) को पूरा करने के लिए दी जाने वाली कोई भी राशि – यदि ठेकेदार कोई व्यक्ति है जो व्यक्तिगत या हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य नहीं हैं।	कोई भी अभिहित व्यक्ति	1024
393(1) [सारणी:	निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की	विनिर्दिष्ट व्यक्ति	1026

धारा	भुगतान का प्रकार	भुगतानकर्ता	धारा कोड
क्रमांक 6 (iii). घ(क)]	राशि — (क) तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क (पेशेवर सेवाओं को छोड़कर); या (ख) सिनेमाई फिल्मों की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन के लिए प्रतिफल के रूप में रॉयल्टी; या (ग) भुगतानकर्ता, जो केवल कॉल सेंटर संचालन के व्यवसाय में लगा हो		
393(1) [सारणी: क्रमांक 6 (iii). घ(ख)]	किसी भी राशि के रूप में— (क)पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क; या (ख) धारा 26(2)(एच) में निर्दिष्ट कोई राशि	विनिर्दिष्ट व्यक्ति	1027
393(1) [सारणी: क्रमांक 6 (iii). घ(ख)]	किसी कंपनी के निदेशक को पारिश्रमिक, शुल्क या कमीशन के रूप में दी गई कोई भी राशि, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, उन राशियों के अलावा जिन पर धारा 392 के अधीन कर कटौती योग्य है।	विनिर्दिष्ट व्यक्ति	1028
393(1) [सारणी: क्रमांक 7]	घोषित किए गए कोई भी लाभांश (वरीयता शेयरों पर लाभांश सहित)।	कोई भी घरेलू कंपनी	1029
393(1) [सारणी: क्रमांक 8 (i)]	जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन कोई भी राशि, जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आवंटित राशि भी शामिल है, अनुसूची II के अधीन कुल आय में शामिल न की जाने वाली राशि के अतिरिक्त [सारणी: क्रमांक 2]	कोई भी व्यक्ति	1030
393(1) [सारणी: क्रमांक 8 (ii)]	किसी भी वस्तु की खरीद के लिए कोई भी राशि	कोई भी व्यक्ति, जो खरीदार हो	1031
393(1) [सारणी: क्रमांक 8 (iv)]	किसी भी निवासी के व्यवसाय या पेशे के अभ्यास से उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ या सुविधा, चाहे वह धन में	कोई भी विनिर्दिष्ट व्यक्ति	1033

धारा	भुगतान का प्रकार	भुगतानकर्ता	धारा कोड
	परिवर्तनीय हो या नहीं।		
393(1) [सारणी: क्रमांक 8 (iv) टिप्पण 6]	किसी भी निवासी के व्यवसाय या पेशे के अभ्यास से उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ या सुविधा, चाहे वह नकद में हो या वस्तु के रूप में, या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में हो, चाहे वह मुद्रा में परिवर्तनीय हो या नहीं।	कोई भी विनिर्दिष्ट व्यक्ति	1034
393(1) [सारणी: क्रमांक 8 (v)]	किसी ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा अपनी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुगम बनाई गई वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं का प्रावधान। - कोई भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर	कोई भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर	1035
393(1) [सारणी: क्रमांक 8 (vi)]	किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल के रूप में दी गई कोई भी राशि।	कोई भी व्यक्ति	1037
393(1) [सारणी: क्रमांक 8 (vi) टिप्पण 6]	किसी आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल के रूप में दी जाने वाली कोई भी राशि, चाहे वह नकद में हो या वस्तु के रूप में, या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में हो।	कोई भी व्यक्ति	1038
393(3) [सारणी: क्रमांक 1]	धारा 393(3) की सारणी के क्रमांक 2 से प्राप्त जीतों के अलावा, निम्नलिखित से प्राप्त किसी भी प्रकार की आय: – (क) कोई लॉटरी; या (ख) क्रॉसवर्ड पहेली; या (ग) ताश का खेल और अन्य किसी भी प्रकार का खेल; या (घ) किसी भी रूप या प्रकृति का जुआ या सट्टेबाजी	कोई भी व्यक्ति	1058
393(3) [सारणी:	धारा 393(3) की सारणी के क्रमांक 2 से	कोई भी व्यक्ति	1059

धारा	भुगतान का प्रकार	भुगतानकर्ता	धारा कोड
क्रमांक 1 टिप्पण 2]	प्राप्त जीतों के अलावा, निम्नलिखित से प्राप्त कोई भी जीत (अ) — (क) किसी लॉटरी; या (ख) क्रॉसवर्ड पहेली; या (ग) ताश का खेल और अन्य किसी भी प्रकार का खेल; या (घ) किसी भी रूप या प्रकृति का जुआ या सट्टेबाजी, जिसमें वस्तु या नकद के रूप में प्रतिफल दिया जाता है, कर दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और ऐसी जीत जारी होने से पहले कर का भुगतान किया जा चुका है।		
393(3) [सारणी: क्रमांक 2]	ऑनलाइन गेम से जीत के रूप में प्राप्त होने वाली कोई भी आय।	कोई भी व्यक्ति	1060
393(3) [सारणी: क्रमांक 2 टिप्पण 2]	ऑनलाइन गेम से जीती गई किसी भी राशि, चाहे वह वस्तु के रूप में हो या नकद, कर दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और ऐसी जीती हुई राशि जारी होने से पहले कर का भुगतान किया जाना चाहिए।	कोई भी व्यक्ति	1061
393(3) [सारणी: क्रमांक 3]	घुड़दौड़ से प्राप्त किसी भी प्रकार की जीत से होने वाली आय।	कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सट्टेबाज हो या सरकार द्वारा किसी भी लागू कानून के अधीन किसी भी घुड़दौड़ मैदान में घुड़दौड़ आयोजित करने या सट्टेबाजी की व्यवस्था करने के लिए लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति हो,	1062
393(3) [सारणी: क्रमांक 4]	लॉटरी टिकटों का भंडारण, वितरण, खरीद या बिक्री करने वाले व्यक्ति को कमीशन, पारिश्रमिक या पुरस्कार (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) के रूप में प्राप्त	कोई भी व्यक्ति	1063

धारा	भुगतान का प्रकार	भुगतानकर्ता	धारा कोड
	होने वाली कोई भी आय।		
393(3) [सारणी: क्रमांक 5.घ(क)]	बैंक/डाकघर/सहकारी समिति द्वारा सहकारी समिति के कटौतीग्राही को नकद में कुछ राशियों का भुगतान।	प्रत्येक व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से कोई एक हो: (क) एक बैंकिंग कंपनी जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 20)लागू होता है (जिसमें उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था शामिल है); (ख) बैंकिंग व्यवसाय में लगी एक सहकारी समिति; या (ग) एक डाकघर	1064
393(3) [सारणी: क्रमांक 5.घ(ख)]	बैंक/डाकघर/सहकारी समिति द्वारा सहकारी समिति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नकद में कुछ राशियों का भुगतान करना।	प्रत्येक व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से कोई एक हो: (क) एक बैंकिंग कंपनी जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (जिसमें उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंकिंग संस्था शामिल है); (ख) बैंकिंग व्यवसाय में लगी एक सहकारी समिति; या (ग) एक डाकघर	1065
393(3) [सारणी: क्रमांक 6]	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80CCA(2)(क) में विनिर्दिष्ट कोई भी राशि।	कोई भी व्यक्ति	1066
393(3) [सारणी: क्रमांक 7]	फर्म के किसी साझेदार को वेतन, पारिश्रमिक, कमीशन, बोनस या ब्याज के रूप में भुगतान की गई या उसके खाते (पूंजी खाते सहित) में जमा की गई कोई भी राशि।	कोई भी व्यक्ति, जो एक फर्म है	1067

16. जब तक अन्यथा उपाबंधित न हो, राशि ₹ में भरी जाएगी।